

न्यायालय-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
॥ पीठासीन अधिकारी पी.सी.आर्य ॥

व्यवहार वाद क्रं 17 बी/2014

संस्थादिनांक 01.07.2010

फाईलिंग नंबर-230303000162010

1. राजवीरसिंह पुत्र लक्ष्मनसिंह आयु 50 साल
  2. मानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह आयु 48 साल
  3. राजेश पुत्र लक्ष्मणसिंह आयु 43 साल
  4. महावीरसिंह पुत्र लक्ष्मनसिंह आयु 40 साल
  5. विजयसिंह पुत्र लक्ष्मनसिंह आयु 34 साल
  6. दिनेश सिंह पुत्र राजवीरसिंह आयु 33 साल
- समस्त जाति तोमर समस्त धंधा खेती  
 निवासीगण ग्राम सर्वा परगना गोहद जिला भिण्ड

.....वादीगण  
 (Plaintiff)

बनाम

1. वकीलसिंह पुत्र जण्डैलसिंह आयु 55 साल  
 जाति भदौरिया ठाकुर व्यवसाय वकालत  
 निवासी मेहगांव थाना परगना मेहगांव जिला  
 भिण्ड म0प्र0
- 2.अ- श्रीमान कलैक्टर महोदय, जिला भिण्ड
- 2 ब- डी0आर0 रौनिया पुत्र हरलाल रौनिया  
 आयु 57 साल व्यवसाय शासकीय सेवक निवासी  
 तत्कालीन थाना प्रभारी गोहद चौराहा तहसील  
 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रतिवादीगण  
 (Defendent)

---

वादी द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर अधि0 ।  
 प्रतिवादी क्रमांक-2 (ब) द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधि0 ।  
 प्रतिवादी क्र0-1 एवं 2 (अ) पूर्व से एकपक्षीय ।

---

—::— नि र्ण य —::—  
(आज दिनांक 14 मई 2015 को घोषित किया गया)

1. वादीगण की ओर से यह वाद त्रुटिपूर्ण अभियोजन जो कि वादीगण एवं मृतक लक्ष्मणसिंह जो कि वादी क्रमांक-1 लगायत 5 पिता व वादी क्र0-6 के बाबा के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण चलाया गया था, उसकी क्षतिपूर्ति राशि एक लाख रुपये वादीगण को प्रतिवादीगण से संयुक्ततः एवं पृथक्ततः दिलाए जाने के अनुतोष हेतु दि0 01.07.2010 को प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रतिवादी क्र0-1 की लेखीय रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा में धारा-147, 294, 427, 506 बी भा0द0वि0 के तहत वादीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिस पर से जे0एम0एफ0सी0 गोहद के

न्यायालय में आप०प्र०क्र०-123/2000 चला था जिसमें दिनांक 28.06.07 को पारित निर्णय अनुसार दोषमुक्ति की गई थी। यह भी निर्विवादित तथ्य है कि उक्त दाण्डिक प्रकरण की विवेचना प्रतिवादी क्र०-2 (ब) डी०आर० रौनिया तत्कालीन थाना प्रभारी गोहद चौराहा द्वारा की गई थी। तथा यह भी निर्विवादित है कि दाण्डिक प्रकरण में आरोपी रहे लक्ष्मणसिंह पुत्र फूलसिंह तोमर जो कि वादीगण क्रमांक-1 लगायत 5 का पिता और वादी क्र०-6 का पितामह था जिसकी मृत्यु हो चुकी है।

3. उक्त स्वीकृत तथ्य के अलावा वादीगण ने यह वाद उक्त अनुतोष हेतु यह अभिवचनित करते हुए प्रस्तुत किया है कि वादी क्रमांक-1 लगायत 5 के पिता व वादी क्र०-6 के दादा (बाबा) स्व० श्री लक्ष्मणसिंह के पिता फूलसिंह सगे तीन भाई थे, मुकुटसिंह, फूलसिंह व सुखलाल। प्रतिवादी क्र०-1 की बुआ गढ़िया वाले मुकुटसिंह को ब्याही थी जिनके कोई संतान नहीं हुई। तथा मुकुटसिंह, फूलसिंह व सुखलाल का शामिल शरीक खाता बांके मौजा सर्वा परगना गोहद में था। मुकुट सिंह के मरने के बाद उनके हिस्से की भूमि उनकी विधवा पत्नी गढ़ियावाली के नाम वारिसी में आई। फूलसिंह का वारिस उनका पुत्र लक्ष्मणसिंह हुआ। सुखलाल का वारिस उनका पुत्र झींगुरीसिंह हुआ और मुकुट सिंह के कोई संतान पैदा न होने से गढ़िया वाली विधवा पत्नी उनकी वारिस हुई और तीनों का खाता शामिल शरीक बना रहा। प्रतिवादी क्र०-1 की सगी बुआ मुकुटसिंह की विधवा पत्नी गड़िया वाली थी। प्रतिवादी क्र०-1 ने साजिश करके बांके मौजा सर्वा परगना गोहद की गड़िया वाली की भूमि गलत तौर से अपने नाम करवा ली क्योंकि खाता संयुक्त था जिसका बंटवारा नहीं हुआ था। इस बाबत लक्ष्मणसिंह द्वारा दीवानी वाद अपने स्वत्वों की रक्षा हेतु गड़िया वाली एवं वकीलसिंह प्रतिवादी क्र०-1 के विरुद्ध संचालित किये जिसमें सुखलाल के पुत्र झींगुरीसिंह ने वकीलसिंह से मिलकर कुछ भूमि अपने नाम विनिमय करा ली। और झींगुरीसिंह वकील के पक्ष में हो गये।

4. ग्राम सर्वा स्थित सर्वे नंबर-2037 जिसका बंदोवस्त के बाद सर्वे क्रमांक-2770 एवं 2771 हुए जो लक्ष्मणसिंह गड़िया वाली के शामिल शरीक था जिसका कोई बंटवारा नहीं हुआ था जिसका विवाद चल रहा था। प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 (ब) से साजिश करके वादीगण तथा वादीगण क्रमांक-1 लगायत 5 के पिता व लक्ष्मणसिंह को प्रताड़ित कराने, नुकसान पहुंचाने व सामाजिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से काल्पनिक घटना दिनांक 6.12.99 के शाम चार बजे की दर्शाते हुए एक झूठी लिखित रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 11.12.99 को थाना गोहद चौराहा पर अप०क्र०-162/99 धारा-147, 294, 506 बी, 427 भादवि के अंतर्गत लक्ष्मणसिंह व वादीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध कराया गया जिसमें यह घटना वर्णित की गई कि दिनांक 06.12.99 के शाम चार बजे लक्ष्मणसिंह पुत्र फूलसिंह, राजवीरसिंह, मानसिंह, राजेशसिंह, महावीरसिंह, विजय सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, दिन्ना पुत्र राजवीरसिंह निवासी सर्वा के सर्वे क्रमांक-2770 व 2771 के हिस्सा 2/3 के रकवा 5 बीघा 10 विस्वा के वकीलसिंह द्वारा बोई हुई गैहू की फसल को दिनेश द्वारा ट्रैक्टर चलाकर खड़ी फसल को जोतकर नष्ट कर दिया। और वकीलसिंह को रोकने पर उसे माँ बहिन की भद्दी भद्दी गालियों दी और जान से मारने की धमकी दी। उस समय ग्राम सर्वा के सुरेशसिंह, कृष्णवीरसिंह ने बीच बचाव किया। उपरोक्त खेत की फसल को वकीलसिंह द्वारा झींगुरीसिंह के भाड़े पर कराई जाना बताई गई और गैहू की फसल में पानी भी लग चुका था। और सर्वे नंबर-2011 रकवा 2 बीघा की झींगुरीसिंह की फसल भी जोतकर नष्ट कर दी गई जिससे वकीलसिंह का 32000/-रुपये और झींगुरीसिंह का 12000/-रुपये का नुकसान हुआ। उक्त रिपोर्ट पर से पंजीबद्ध अपराध में वादीगण एवं वादी क्र०-1 लगायत 5 के पिता लक्ष्मणसिंह को प्रतिवादी क्र०-2

(ब) द्वारा झूठी विवेचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। और जेएमएफसी गोहद के समक्ष पेश किया गया जहाँ से समय समय पर उनकी जमानतें हुईं और चालान के लिये पेशी चलती रही। दिनांक 11.04.2000 को अपराध क्रमांक-162/99 की चार्जशीट प्रस्तुत की गई जिस पर से प्र०क्र०-123/2000 इ०फौ० शासन पुलिस गोहद चौराहा बनाम लक्ष्मणसिंह के नाम पंजीबद्ध हुआ।

5. सर्वे क्रमांक-2771 बांके मौजा सर्वा की कोई भी गैहूँ की फसल नष्ट नहीं की गई थी जिसके संबंध में वादीगण द्वारा तत्काल न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट मंगाने हेतु आवेदन दिनांक 01.04.2000 को ही दिया था तथा इससे पूर्व ही तहसीलदार महोदय गोहद वृत्त एण्डोरी से सर्वे नंबर-2771 की मौके की फसल की जांच कराने का आग्रह किया गया जिसकी जांच राजस्व निरीक्षक वृत्त एण्डोरी गोहद ने अपना जांच प्रतिवेदन एवं मौके का पंचनामा बनाकर न्यायालय को भिजवाई जिसमें यह पाया गया कि सर्वे नंबर-2771 रकवा 1.57 है० भूमि में मौके पर गैहूँ की फसल खड़ी पाई गई। तथा किसी भी सर्वे नंबर की कोई भी फसल वादीगण एवं स्व० लक्ष्मणसिंह के द्वारा एक राय होकर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट नहीं की गई और न ही कोई गाली-गलौच किया और न ही कोई जान से मारने की धौंस दी। प्रतिवादी क्र०-1 विधि विशेषज्ञ होकर मेहगांव न्यायालय में वकालत करते हुए उन्होंने गलत रूप से वादीगण एवं मृतक लक्ष्मणसिंह को दुर्भावनापूर्ण रूप से आपराधिक प्रकरण में प्रताड़ित कराने और पुलिस के समक्ष नतमस्तक कराने, समाज में छवि धूमिल कराने, और दीवानी प्रकरण में राजीनामा का दबाव बनाने के लिये और भूमि का जबरन कब्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण यह आपराधिक प्रकरण झूठा एवं फर्जी बनवाया गया है जिसमें दिनांक 18.01.2000 से निर्णय दिनांक 28.06.2007 तक सात वर्ष तक अभियोजित किया जाता रहा और दौराने अभियोजन सदमा लग जाने से वादी क्र०-1 लगायत 5 के पिता और वादी क्र०-6 के बाबा लक्ष्मणसिंह की भी असामयिक मृत्यु हो गई। अभियोजन के समय उनकी उम्र 65 साल थी।

6. उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से संपूर्ण साक्ष्य उपरान्त बचाव साक्ष्य के बाद न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद ने अपने निर्णय दिनांक 28.06.07 के द्वारा वादीगण को निर्दोष घोषित किया। और यह निर्धारित किया कि अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्यों के न्यायालयीन कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस कथनों आदि से उपरोक्त अपराध का संपूर्ण प्रकरण में संदेह उत्पन्न होता है और अभियोजन दृष्टि पूर्ण है तथा विवेचना प्रतिवादी क्र०-2 ब के द्वारा दी गई। विवेचना में यह भी संदेह उत्पन्न होना पाया गया है और अपने केस में अपने बंटाईदार झींगुरीसिंह व उसके पुत्र की गवाही कराई गई है। इस प्रकार प्रतिवादी क्र०-1 के द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 ब से मिलकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपराध पंजीबद्ध कराया जाकर अभियोजित कराया गया है। उपरोक्त खेत में राजस्व निरीक्षक ने मौके पर फसल खड़ी होना और सुरक्षित पाई गई जिसे न्यायालय द्वारा भी मान्य किया गया और निष्कर्ष निकाला कि फसल मौके पर खड़ी थी। उपरोक्त जांच रिपोर्ट एवं पंचनामा को प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा कहीं भी किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया गया और न ही उस पर कोई आपत्ति की इसलिये प्रतिवादी क्र०-1 उस पर विवंधित है। तथा प्रतिवादी क्र०-1 कानूनी विशेषज्ञ विधि व्यवसायी होकर अपनी बुआ की जमीन को हड़प करने और कब्जा करने के उद्देश्य से प्रतिवादी क्र०-2 ब को प्रभाव में लेकर यह झूठा अभियोजन चलाया जिसमें वादी क्र०-1 लगायत 5 के पिता व 6 के बाबा लक्ष्मणसिंह को आघात लगने से असामयिक मृत्यु हो गई। वादीगण का परिवार एक प्रतिष्ठित पढा लिखा संभ्रान्त परिवार है जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने से न्यायालय में पेश होने आदि के कारण बहुत बड़ी मानहानि हुई जिसके लिये वादीगण 30,000/-रुपये वादी क्र०-1 व

2 ब से व्यक्तिशः प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस झूठे अभियोजन के कारण लक्ष्मणसिंह बीमार रहने लगे। उनको मानसिक आघात लगा व अपने इलाज खानपान देखरेख आदि में 30000 रुपये की क्षति हुई। तथा वादीगण का एक संरक्षक कम उम्र में चला गया। तथा न्यायालयीन पेशियों पर आने जाने, अभिभाषक शुल्क एवं न्यायालय में आवेदन पत्र देने, प्रोसेस फीस देने, जमानत एवं मुचलके भरवाने आदि में करीब 40000 रुपये खर्च हुआ। जो वह वादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

7. प्रतिवादी क्र०-2 ब मध्यप्रदेश शासन का अधीनस्थ जिम्मेदार पुलिस अधिकारी होते हुए उनके द्वारा प्रतिवादी क्र०-1 से साजिश करके यह अभियोजन का अपराध झूठा पंजीबद्ध किया जो उसके शासकीय कर्तव्य से विपरीत कार्य किया और न्यायालय द्वारा विवेचना झूठी एवं निराधार पाई गई। चूंकि प्रतिवादी क्र०-2 ब के द्वारा म०प्र० शासन को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हुआ है और प्रतिवादी क्र०-2 अ म०प्र० शासन के मिले प्रतिनिधि हैं इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया गया है। तथा म०प्र० शासन एवं प्रतिवादीगण को नोटिस देकर दिनांक 03.02.2010 क्रमांक-51, 52, 53, 54 का दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी कोई क्षतिपूर्ति राशि वादीगण को प्रदाय नहीं की गई है। अतः यह दावा करना आवश्यक हुआ है। तथा क्षतिपूर्ति राशि कुल एक लाख रुपये है जिस पर दो हजार रुपये कोर्टफीस लगाई गई है। तथा यह भी व्यक्त किया है कि वाद डिक्री होने के बाद वसूली के समय इजरा में न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क जमा की जावेगी। अतः त्रुटिपूर्ण अभियोजन जो दुर्भावनापूर्ण चलाया गया था, उसकी क्षतिपूर्ति राशि 1,0000/-रुपये वादीगण प्रतिवादीगण से संयुक्ततः व पृथक्ततः प्राप्त करने का अधिकारी होना घोषित किया जावे। समर्थन में राजवीरसिंह का शपथ पत्र भी पेश किया है।

8. प्रतिवादी क्र०-2 ब की ओर से वादीगण के वाद का विरोध करते हुए अपने जवाब दावा में वाद पत्र क्रमांक-1, 2 व 3 को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का पालन करते हुए फरियादी वकीलसिंह के द्वारा की गई रिपोर्ट एवं साक्षियों के कथन उपरान्त विवेचना प्रक्रिया के पश्चात अभियोग पत्र माननीय जे०एम०एफ०सी० न्यायालय गोहद के समक्ष पेश किया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये तथा उसने कोई साजिश के आधार पर कार्यवाही नहीं की थी। वादीगण ने कानूनी रंग देने के लिये झूठे तथ्य लिखे हैं। उसके द्वारा फरियादी वकीलसिंह एवं उनके साक्षियों के बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे तथा विवेचना के दौरान भी उक्त तथ्य विवेचना अधिकारी के समक्ष आये जिसके आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। तथा वाद पत्र की कलम नंबर-5 में यह उल्लेखित तथ्य कि प्रतिवादी क्र०-2 ब द्वारा झूठी विवेचना के आधार पर अभियोग पत्र पेश किया गया था वह अस्वीकार की है क्योंकि विवेचना में फरियादी वकीलसिंह की रिपोर्ट के संबंध में प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त हुई जिसके आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। तथा वाद पत्र की कलम नंबर-6 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए बताया है कि उक्त तथ्यों के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है न ही उससे दस्तावेज विवेचना के दौरान वादीगण ने पेश किये।

9. प्रतिवादी क्र०-2 ब ने यह भी अपने जवाबदावे में बताया है कि उसके द्वारा कोई मानहानि नहीं पहुंचाई गई है तथा उससे कोई क्षतिपूर्ति पाने के वादीगण पात्र नहीं हैं। तथा वादीगण ने कम न्यायशुल्क अदा किया है तथा उक्त तथ्यों के लिये वादीगण को स्वयं जिम्मेदार होना बताया है। अतः वादीगण का वाद हर्जे खर्चे के साथ निरस्त करने की प्रार्थना की है।

10. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दि० 15.07.2013 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये गये जिनके सम्मुख विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

- (1) क्या प्रतिवादीगण के द्वारा वादी को बलवा कारित करने एवं जान से मारने की धमकी दी तथा खेत की फसल काटकर रिष्टि कारित करने के संबंध में अभियोजित किया गया?
- (2) क्या वादी के पक्ष में कार्यवाही की समाप्ति का परिणाम ऐसा था जो कि उसकी प्रकृति से ही ऐसे समाप्त करने में समर्थ था?
- (3) क्या प्रतिवादी वादी के विरुद्ध युक्तियुक्त या संभाव्य कारण के बिना कार्यवाही संस्थित की?
- (4) क्या प्रतिवादीगण के द्वारा विद्वेषपूर्ण आशय से न कि केवल विधि के प्रभावी करने के आशय से कार्यवाही संस्थित की गई?
- (5) क्या वादीगण की ख्याति को कोई नुकसान पहुँचा? यदि हाँ तो ऐसे नुकसान की मात्रा किस सीमा तक?
- (6) सहायता एवं वाद व्यय?

11. वादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में राजवीरसिंह वा०सा०-1, सामंतसिंह वा०सा०-2 का कथन कराया गया है तथा प्र०पी०-1 लगायत प्र०पी०-51 तक के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं जबकि प्रतिवादी क्र०-2 की ओर से अपने पक्ष समर्थन में स्वयं का कथन डी०आर०रौनिया प्र०सा०-1 के रूप में कराया गया है तथा कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है।

**।। सकारण निष्कर्ष ।।**

**:: वाद प्रश्न क्रमांक-1 ::**

12. इस संबंध में अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य पेश हुई है, उसमें वादीगण की ओर से वादी राजवीरसिंह वा०सा०-1 ने स्वीकृत तथ्यों के अलावा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि उसके बाबा स्व० लक्ष्मणसिंह के पिता फूलसिंह के तीन सगे भाई स्वयं फूलसिंह, मुकुटसिंह, एवं सुखलाल थे। सुखलाल के वारिसों में उनका पुत्र झींगुरीसिंह था। मुकुटसिंह की कोई संतान न होने से उसकी विधवा पत्नी गढियावाली उसकी वारिस हुई और लक्ष्मणसिंह के वह वारिस हैं। तीनों खेतों की भूमि शामिल शरीक है। प्रतिवादी क्र०-1 वकीलसिंह की गढिया वाली सगी बुआ थी जिससे साजिश

करके गलत तौर पर वकीलसिंह ने भूमि मुकुटसिंह की पत्नी गढिया वाली की अपने नाम करा ली थी। जबकि कोई बंटवारा नहीं हुआ था और इसके संबंध में उसके बाबा लक्ष्मणसिंह द्वारा दीवानी वाद भी किया गया जिसमें सुखलाल के पुत्र झींगुरीसिंह ने वकीलसिंह से मिलकर कुछ भूमि अपने नाम विनिमय करा ली। और वकीलसिंह के पक्ष में झींगुरीसिंह हो गया था।

13. बंदोवस्त के बाद सर्वे क्रमांक-2037 के नवीन सर्वे नंबर-2770, 2771 हुए जो शामिल होती रही। उसका यह भी कहना है कि प्रतिवादी वकीलसिंह ने प्रतिवादी क्र०-2 ब डी०आर० रौनिया से साजिश करके उसकी व उसके भाई व पिता के विरुद्ध प्रताड़ित कर, नुकसान पहुंचाने, छवि धूमिल करने के उद्देश्य से दिनांक 06.12.99 के शाम चार बजे की घटना दर्शाते हुए झूठा शिकायती आवेदन दिया जिसके आधार पर दिनांक 11.02.99 को थाना गोहद चौराहा पर अप०क्र०-162/99 धारा-147, 294, 506 बी, एवं 427 भा०द०वि० उनके विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें ट्रैक्टर से खड़ी फसल जोतकर नष्ट कर देने, गाली-गलौच, धमकी की घटना बताई गई थी जिसमें पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल जाना पड़ा जिसमें वे बरी हो चुके हैं। उसने पैरा-12 में जमीन के विवाद पर से रंजिश चलने की बात स्वीकार करते हुए उसके संबंध में दीवानी विवाद चलना भी बताया है। और यह भी स्वीकार किया है कि जो दीवानी दावा किया था वह निरस्त हो गया है और गढिया वाली के पक्ष में निर्णय हुआ है। पैरा-13 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि उन पर जो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था उसमें वे जेल में भी गये थे। डी०आर० रौनिया से उनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। डी०आर० रौनिया द्वारा थाना गोहद चौराहा पर अपराध पंजीबद्ध किये जाने के संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं की गई थी कि झूठा मामला पुलिस ने पंजीबद्ध किया है। स्वतः में उसने यह कहा है कि न्यायालय में कार्यवाही की थी और राजस्व अधिकारियों से जांच कराई थी।

14. पैरा-14 में उसका यह भी कहना है कि वे भी वकीलसिंह और झींगुरीसिंह के लड़कों के विरुद्ध रिपोर्ट करने गये थे किन्तु पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं ली थी। उसकी भी उन्होंने कोई वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत नहीं की। पैरा-16 में उसका यह भी कहना है कि यदि वकीलसिंह रिपोर्ट नहीं करता तो पुलिस उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं करती। अपराध पंजीबद्ध होने के संबंध में उसका समर्थन सामंतसिंह वा०सा०-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है। और उसने भी पैरा-8 में राजवीरसिंह की थाना प्रभारी गोहद चौराहा डी०आर० रौनिया से कोई रंजिश न होना पैरा-8 में कहा है।

15. इस संबंध में प्रतिवादी क्र०-1 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रतिवादी क्र०-2 (ब) डी०आर० रौनिया द्वारा साक्ष्य पेश की गई है। उसने प्र०सा०-1 के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए यह कहा है कि वह दिनांक 11.02.99 को थाना प्रभारी गोहद चौराहा के पद पर पदस्थ था। और फरियादी वकीलसिंह द्वारा की गई लेखीय रिपोर्ट पर से उसने अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना में आई साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था जिस पर से आरोप विरचित किये गये थे और न्यायालय द्वारा संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया है। उसने पैरा-7 में यह स्वीकार किया है कि वकीलसिंह द्वारा जो लिखित आवेदन दिया गया था उसकी उसने कोई जांच नहीं की थी, सीधा अपराध पंजीबद्ध किया था क्योंकि संज्ञेय अपराध प्रतीत हुआ था और संज्ञेय अपराध में जांच की आवश्यकता नहीं होती है।

16. पैरा-8 में यह भी स्वीकार किया है कि लेखीय आवेदन प्र०पी०-45 में फरियादी ने स्वयं का हिस्सा 2/3 बताया था। और उसके साथ फरियादी ने रजिस्ट्री



की नकल पेश की थी जिसमें उसका हिस्सा पूर्व दिशा में अंकित था जिसमें कुल आठ बीघा में से पांच बीघा फरियादी की थी जो उसने सन् 1986 में खरीदी थी और तभी से वह अपने हिस्से पर काबिज होकर कास्त कर रहा था। विक्रय पत्र उसने प्रकरण में पेश नहीं किया है। केवल आपराधिक मामले में उसकी नकल संलग्न की थी। पैरा-11 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि कृषि भूमि का बंटवारा राजस्व न्यायालय से होता है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि फरियादी वकीलसिंह मेहगांव में वकील (अभिभाषक) थे।

17. इस संबंध में वादीगण की ओर से अभिलेख पर साक्ष्य के दौरान वादीगण और उनके पिता लक्ष्मणसिंह जो कि फोटो होना बताया गया है, उनके विरुद्ध थाना गोहदचौराहा में प्र०पी०-46 का लेखी शिकायती आवेदन पर से प्र०पी०-18 की एफ०आई०आर० पंजीबद्ध होना मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है। यह भी स्पष्ट होता है कि पंजीबद्ध हुए अप०क्र०-162/99 में वादीगण और उनके पिता लक्ष्मण को प्र०पी०-5 लगायत 11 के गिरफ्तारी पत्रकों द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 ब डी०आर०रौनिया द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायिक निरोध में भेजे जाने हेतु संबंधित जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में पेश किया था जिसमें पैरवी हेतु वादीगण की ओर से अभिभाषक नियुक्त किये थे। जिसके अभिभाषक पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-12 है। प्र०पी०-13 लगायत 17 द्वारा वादी दिनेशसिंह, राजवीरसिंह, राजेश, विजयसिंह, और उनके पिता लक्ष्मणसिंह को न्यायिक निरोध में लेकर जेल भेजा गया था। पंजीबद्ध अपराध में विवेचना के दौरान बनाया गया नक्शामौका प्र०पी०-19 पेश किया है। तथा जमानत संबंधी आदेश प्र०पी०-23 भी पेश किया है। संबंधित अपराध में वादीगण की जमानत हुई थी। उनके जमानत प्रपत्र प्र०पी०-24 लगायत 39 पेश किये गये हैं। विचारण के दौरान हाजिरी माफी के आवेदन पत्र प्र०पी०-43 एवं 44 जमानत आवेदन प्र०पी०-49 प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में पेश हैं जिनका खण्डन नहीं है। उक्त दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा की गई लेखीय शिकायत प्र०पी०-46 के आधार पर प्रतिवादी क्र०-2 ब डी०आर०रौनिया द्वारा प्र०पी०-18 के तहत एफ०आई०आर० दर्ज कर अपराध की कायमी कर अनुसंधान किया गया था जिसमें आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में भेजा गया और उनका विचारण हुआ।

18. विचारण उपरान्त प्र०पी०-4 के मुताबिक उनकी दोषमुक्ति की गई। दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही प्रतिवादीगण की ओर से नहीं की गई है इसलिये प्र०पी०-4 का जे०एम०एफ०सी० न्यायालय गोहद का निर्णय अंतिम हो गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धारा-147, 294, 506बी, 427 भादवि के अपराध के लिये अभियोजित किया गया था जिसमें वादीगण द्वारा बलवा करते हुए प्रतिवादी क्र०-1 वकीलसिंह को लोक स्थान पर गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी गैहूँ की फसल को नष्ट कर रिष्टिकारित करने का आक्षेप किया गया था जो प्रमाणित नहीं हुआ। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत कर प्रमाणित ठहराया जाता है।

#### **:: वाद प्रश्न क्रमांक-2 लगायत 4 ::**

19. उक्त तीनों वाद प्रश्न विद्वेषपूर्ण अभियोजन के बिन्दु पर आधारित होकर एकदूसरे के पूरक हैं इसलिये साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से उनका एकसाथ विश्लेषण व निराकरण किया जा रहा है।

20. इस संबंध में वादी राजवीरसिंह वा०सा०-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में

झगड़े वाली भूमि शामिल होती और अविभाजित बताते हुए अपनी अभिसाक्ष्य में प्रतिवादी क्र०-1 वकीलसिंह के द्वारा प्रतिवादी क्र०-2 ब तत्कालीन थाना प्रभारी गोहद चौराहा डी०आर० रौनिया से साजिश करके उन्हें व उनके पिता लक्ष्मणसिंह को प्रताड़ित कराने, नुकसान पहुंचाने, सामाजिक छवि धूमिल करने के उद्देश्य से काल्पनिक घटना के आधार पर झूठे मामले में अभियोजित कराते हुए जेल भिजवाया जाना बताया है और यह भी कहा है कि काल्पनिक रूप से ही प्र०पी०-46 के शिकायती आवेदन में घटना बताई गई है जिसके आधार पर झूठे मामले में अभियोजन का सामना करना पड़ा, जेल जाना पड़ा और मुकदमा लड़ने से आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक क्षति हुई है। जबकि वास्तव में कोई फसल नष्ट नहीं हुई थी। और उक्त कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से पूर्व से चल रहे दीवानी प्रकरणों में समझौता करने के दबाव के लिये व भूमि का जबरन कब्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई। उसका यह भी कहना है कि अभियोजन के कारण विचारण के दौरान सदमा लगने से उसका व वादी क्र०-2 लगायत 5 के पिता और वादी क्र०-6 के बाबा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हुई थी जो करीब 65 वर्ष के थे। न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण के निर्णय में दिनांक 28.06.07 में भी प्रकरण संदिग्ध, अभियोजन त्रुटिपूर्ण पाते हुए विवेचक पर भी संदेह माना गया है। और घटनास्थल वाले खेत का राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके का निरीक्षण कर फसल खड़ी व सुरक्षित पाई गई थी। कोई भी नुकसानी नहीं पाई गई थी। प्रतिवादी क्र०-1 जो कि पेशे से विधि व्यवसायी है। उसने अपनी बुआ की जमीन हड़पने और कब्जा करने के उद्देश्य से प्रतिवादी क्र०-2 ब डी०आर० रौनिया को प्रभाव में लेकर झूठा अभियोजन चलवाया जिसके कारण ही लक्ष्मणसिंह की असमय मृत्यु हुई। उनका परिवार प्रतिष्ठित व संभ्रान्त है। गिरफ्तारी और जेल जाने से उनकी बहुत बड़ी मानहानि हुई है।

21. वा०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उनका व झींगुरीसिंह का एक ही परिवार है। झींगुरी सिंह उसका चचेरा भाई है। उनकी व झींगुरी सिंह की जमीन के संबंध में विवाद होकर रंजिश है और कोई समझौता नहीं हुआ है। गढ़िया वाली ने अपनी जमीन वकीलसिंह को बेची थी। गढ़िया वाली अपनी जमीन पर स्वयं आधिपत्यधारी थी। गढ़िया वाली और उनकी जमीन को लेकर विवाद था क्योंकि उन्हें जमीन मिलना चाहिए थी जिसके संबंध में दीवानी दावा चला था जिसमें उनका दावा निरस्त हुआ। इस तरह से वादी गढ़िया वाली की भूमि पर स्वयं गढ़ियावाली के आधिपत्य में होना और उसके द्वारा प्रतिवादी वकीलसिंह को भूमि बेचना स्वीकार किया है। पैरा-14 में उसका यह भी कहना है कि उनके विरुद्ध वकीलसिंह, झींगुरी सिंह और झींगुरीसिंह के लड़कों ने आपराधिक मामले में गवाही दी थी।

22. पैरा-16 में यह भी स्वीकार किया है कि वह शंका के आधार पर बरी हुए थे। लक्ष्मणसिंह झूठा केस लगाने से बीमार रहने लगे थे और खतम हो गये थे। उनका इलाज कराया था जिसके पर्चे उनके पास हैं लेकिन पेश नहीं किये हैं। इस बात से इन्कार किया है कि राजस्व निरीक्षक रमेशसिंह उनके समाज के होकर रिश्तेदार हैं जिससे मिलकर फसल खड़ी होने की गलत रिपोर्ट बनवाई थी। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि जिन धाराओं का मामला पंजीबद्ध हुआ था उसमें पुलिस को जमानत लेने का अधिकार नहीं था इस कारण जेल गये थे। इस बात से भी इन्कार किया है कि आपराधिक मामले में वकीलसिंह और झींगुरीसिंह से उनका राजीनामा होने के कारण उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की गई जिससे वह दोषमुक्त हुए। यह स्वीकार किया है कि यदि वकीलसिंह रिपोर्ट नहीं करते तो उनके विरुद्ध कोई मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ। अंत में उसका कहना है कि साक्षियों से उनका विरोध था इसलिये पुलिस से मिलकर उनके विरुद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध कराया गया था।



23. सामंतसिंह वा०सा०-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में वा०सा०-1 का समर्थन करते हुए पैरा-7 में यह कहा है कि विवादित खेत उसने देखा है जिसके दक्षिण में उसका खेत है। पूर्व में खेत के बाद नदी है। उत्तर दक्षिण में वादी के परिवार के लोगों के ही खेत हैं। वकीलसिंह और राजवीरसिंह का कैसे क्या विवाद चल रहा है, उसकी उसे जानकारी नहीं है और यह भी जानकारी नहीं है कि लक्ष्मणसिंह को क्या बीमारी थी जिससे उनकी मृत्यु हुई। वकीलसिंह ने कब और क्या रिपोर्ट की, इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। डी०आर०रौनिया से रजिश्तरी की भी जानकारी न होना वह पैरा-8 में बताता है। लेकिन उसने यह कहा है कि राजवीरसिंह वकील पर थाना प्रभारी डी०आर० रौनिया ने केस कायम किया था। फसलों के संबंध में भी उसे जानकारी नहीं है कि विवादित भूमि पर किन किन फसलों की खेती हुई। डी०आर०रौनिया से उनके गांव में किन किन की दोस्ती थी, इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। उसका पैरा-9 में यह भी कहना है कि वकील सिंह और वादीगण एक ही परिवार के हैं और छोटी-मोटी बातों पर उनका विवाद होता रहता है। शादी विवाह में एकत्रित होते हैं और राजीनामा करा देते हैं तो मन मुटाव दूर हो जाता है।

24. पैरा-10 में उसका यह भी कहना है कि वकीलसिंह के नाम से गढियावाली की जो जमीन है वह उन्होंने बेच दी है लेकिन किसको बेची है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसका राजवीरसिंह, झींगुरीसिंह के यहाँ आना-जाना नहीं है किन्तु यह स्वीकार किया है कि वादी स्वयं गढिया वाली के खेत शामिलाली हैं। वकीलसिंह ने थाना गोहद चौराहा पर जो राजवीर व वकील के विरुद्ध आवेदन दिया था जिस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था किन्तु कोई फसल नष्ट नहीं हुई थी। विवादित भूमि उसने साढ़े पांच बीघा बताई है। यह स्वीकार किया है कि राजवीर वगैरा से उसकी 15-16 साल से नजदीकी होकर मित्रता है क्योंकि उनके बच्चे व उसके बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि राजवीर ने उससे गवाही देने के लिये कहा था इसलिये गवाही के लिये आया है। उसका यह भी कहना है कि पुलिस मौके पर जांच करने नहीं गयी थी और झूठे प्रकरण में वादीगण जेल में रहे, उसकी उसे जानकारी है, इस कारण वह गवाही देने आया है। उसे गवाही का कोई समंस नहीं मिला था।

25. प्रतिवादी क्र०-2 ब डी०आर०रौनिया ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बाबत यह कहा है कि फरियादी वकीलसिंह के लेखीय आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था क्योंकि संज्ञेय अपराध था और अनुसंधान में जो प्रकरण में साक्ष्य प्राप्त हुई थी उसके आधार पर अभियोग पत्र पेश किया गया था। विद्वेषपूर्ण एवं दुर्भावना से उसने कोई कार्यवाही नहीं की। उसने अपने अनुसंधान में घटनास्थल पर जाकर नक्शा-मौका बनाया था। साक्षियों के कथन लिये थे जिसके आधार पर अपराध पाते हुए गिरफ्तारी की गई थी व चालानी कार्यवाही की गई थी और न्यायालय में विचारण भी हुआ था। किन्तु जिन साक्षियों के कथन लिये गये थे उन अभियोजन साक्षियों को वादीगण ने प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार हैं। उसका इस प्रकरण से कोई संबंध व सरोकार नहीं है और वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है तथा कायमी दिनांक 11.12.99 को करीब चार माह बाद आर०आई० राजेशसिंह गौड़ के द्वारा फसल खड़ी पाई जाने की गलत रिपोर्ट दी गई है क्योंकि घटना के तत्पश्चात निरीक्षण करते तो फसल नष्ट ही पाते जिससे यह स्पष्ट है कि फरियादी वकीलसिंह द्वारा घटना एवं कायमी के बाद पुनः फसल उगाई गई जिसके कारण फसल खड़ी पाई गई।

26. प्र०सा०-1 ने पैरा-7 में इस बात से इन्कार किया है कि लिखित आवेदन में फसल नष्ट करना लेख किया गया था इसलिये पहले उसे मौके पर जाकर इस बात

का सत्यापन करना चाहिए था कि वास्तव में फसल नष्ट हुई या नहीं। उसके बाद ही एफ०आई०आर० दर्ज करनी चाहिए थी। पैरा-8 में उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि अपराध पंजीबद्ध करने के पहले उसे मौके पर जाकर फरियादी से 2/3 हिस्से की पैमाईश करानी चाहिए थी उसके बाद अपराध दर्ज किया जा सकता था। इस बात से भी इन्कार किया है कि अपराध दर्ज करने के पहले उसे संबंधित हलका पटवारी और राजस्व निरीक्षक को तलब कर मौके पर फरियादी के हिस्से को सीमांकित कराते हुए जांच करके ही आगे कार्यवाही करनी चाहिए थी। यह स्वीकार किया है कि लेखीय आवेदन में कृषि विवाद बताया गया था। उसने स्वतः में यह कहा है कि अपराध मानते हुए उसने कार्यवाही की थी और मौके पर भी गया था। तब उसने पूरी फसल उजड़ी हुई पाई थी। फसल दुबारा से जीवित नहीं हो सकती थी। पुनः बीज डालकर उगाई जा सकती थी इस बात की उसने जांच की थी।

27. प्र०सा०-1 ने पैरा-9 में यह भी कहा है कि उसकी निजी जानकारी अनुसार गैहू की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में कटती है। घटनास्थल वाले खेत का उसने पटवारी से नक्शा नहीं बनवाया था। स्वयं फरियादी ने पटवारी से नक्शा लाकर दिया था। उसने आर०आई० पटवारी की मदद से सर्वे नंबर की भी नाप नहीं की। पैरा-10 में उसका यह भी कहना है कि प्र०पी०-46 के लेखी आवेदन में वकीलसिंह ने अपना हिस्सा 2/3 बताया था। तथा अपराध दर्ज करने के पूर्व शेष 1/3 हिस्सा आरोपीगण/वादीगण का होना बताया था। अपराध दर्ज करने के पूर्व वकीलसिंह द्वारा खसरा, नक्शा, अख्श और रजिस्ट्री जमीन से संबंधित कागजात उसे दिखाये गये थे जो संलग्न कर चालान के साथ पेश किये गये थे। इस बात से इन्कार किया है कि खसरा, खतौनी, नक्शा और रजिस्ट्री को अभियोग पत्र के साथ पेश नहीं किया गया। पैरा-11 में यह स्वीकार किया है कि प्र०पी०-6 के लेखी आवेदन में दस्तावेजों के संलग्न होने का उल्लेख नहीं है। उसे अनुसंधान के दौरान जमीन के बंटवारे के कोई कागजात प्राप्त नहीं हुए थे। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि रजिस्ट्री में ही पूर्व का हिस्सा लिखा था। इस बात से उसने इन्कार किया है कि प्र०पी०-46 के लेखीय आवेदन में दस्तावेजों के संलग्न होने का उल्लेख नहीं है। उसे अनुसंधान के दौरान जमीन के बंटवारे के कोई कागजात प्राप्त नहीं हुए थे। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि रजिस्ट्री में ही पूर्व का हिस्सा लिखा था। इस बात से उसने इन्कार किया है कि प्र०पी०-46 के लेखी आवेदन में उसने ए से ए भाग पर और बी से बी भाग बाद में फरियादी से मिलकर लिखवाया ए से ए भाग का **शाम के चार बजे** और बी से बी भाग का **ग्राम के लोगों द्वारा समझौता कराने पर न होने से आज रिपोर्ट करने आया हूँ।**

28. प्र०सा०-1 ने पैरा-12 में घटनास्थल पर दिनांक 12.12.99 को जाकर नक्शामौका प्र०पी०-19 तैयार करना और अन्य कार्यवाही करना बताया है। यह स्वीकार किया है कि नक्शामौका में ट्रैक्टर के पहिये में निशान मिले या नहीं, इसका उल्लेख नहीं है लेकिन फसल उजड़ी पड़ी थी, उसका उल्लेख किया गया है। उसने मुख्य परीक्षण के पैरा-4 में अभिवचनों से अन्यथा जाकर तथ्य लिखाने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि आर०आई० ने चार महीने बाद मौके पर जांच की। इसलिये फसल फरियादी ने दुबारा उगा ली होगी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आपराधिक प्रकरण के आरोपीगण/वादीगण ने कथित घटना के तत्काल बाद ही मौके की जांच के लिये आवेदन दिया या नहीं। उसने इस बात से इन्कार किया है कि यदि बाजार में गोहद की फसल उजाड़ दी जाये तो दुबारा उगाई जा सकती है क्योंकि मौसम और वातावरण बदल जाता है। पैरा-13 में उसने फरियादी वकीलसिंह से मिलकर बिना

जांच के विद्वेषपूर्ण अपराध पंजीबद्ध करने से इन्कार कर कहा है कि उसने आसपास के कृषकों को प्रकरण में साक्षी इसलिये नहीं बनाया है क्योंकि कोई साक्ष्य देने को पार्टीबंदी के कारण तैयार नहीं हुआ था। आसपास के कृषकों की पार्टीबंदी किसकी किससे थी, यह उसे याद नहीं है। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि लक्ष्मण सिंह ग्राम सर्वा के प्रतिष्ठित और भले व्यक्ति थे जिनकी सदमे से और दिल का दौरा पडने से मृत्यु हुई जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गलत अनुसंधान कर गलत प्रकरण बनाये जाने ओर झूठी कार्यवाही करने से भी उसने इन्कार किया है।

29. पैरा-14 में उसका ऐसा भी कहना रहा है कि वकीलसिंह और वादीगण के बीच पहले से ही पुराने दीवानी दावे चलने की उसे जानकारी नहीं है। उसने फरियादी वकीलसिंह का सन् 1986 से विवादित जमीन पर कब्जा चले आने की बात स्वतः बताते हुए कहा है कि उक्त बात वह अनुसंधान के दौरान देखी गई, दस्तावेजों के आधार पर बता रहा है और यह स्वीकार किया है कि सन् 1986 से वकील सिंह का कब्जा दर्शित होने संबंधी कोई दस्तावेज आपराधिक प्रकरण में पेश नहीं किये गये थे। पैरा-15 में उसने फरियादी से आर्थिक लाभ लेकर और उसके प्रभाव में आकर उससे अनैतिक संबंध स्थापित करते हुए फसल उजाड़ने के संबंध में झूठा अपराध पंजीबद्ध कर विद्वेषपूर्ण विवेचना किये जाने से इन्कार किया है और इस बात से भी इन्कार किया है कि कोई अपराध नहीं बनता था और वादीगण निर्दोष थे। यह स्वीकार किया है कि दाण्डिक प्रकरण में हुए निर्णय की कोई अपील पेश नहीं की गई। इस बात से भी इन्कार किया है कि धारा-80 सीपीसी के तहत दिये गये नोटिस से उसे वादीगण के बरी होने की जानकारी हो गयी थी। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि वह क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरादायी है और उससे बचने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

30. इस संबंध में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख पर पेश की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इस आशय का तर्क रहा है कि वास्तविकता में वादीगण द्वारा प्रतिवादी वकीलसिंह की कोई फसल न तो उजाड़ी गई थी न ही उसे कोई नुकसान हुआ था क्योंकि ट्रैक्टर से फसल उजाड़े जाने की बात बताई गई है जो कतई प्रमाणित नहीं हुई है क्योंकि लेखी रिपोर्ट मुताबिक फसल में पानी लग चुका था अर्थात् फसल बढ चुकी थी। ऐसे में यदि फसल नष्ट होती तो पुनः नहीं उगाई जा सकती थी। जबकि आर०आई० द्वारा मौके पर की गई जांच में कोई भी फसल उजड़ जाना नहीं पाया गया। बल्कि गैहू की फसल सुरक्षित खड़ी पाई गई है। प्र०पी०-4 का जो निर्णय हुआ है वह अंतिम है जिसमें प्रतिवादी क्र०-2 व डी०आर० रौनिया विवेचक के विरुद्ध भी पैरा-17 में विपरीत टिप्पणी करते हुए न्यायालय द्वारा अनुसंधान भी संदिग्ध माना गया है जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और वह निष्कर्ष यथावत है। इसलिये प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ई) की उपधारणा प्रतिवादी के विरुद्ध निर्मित होगी और प्रतिवादी क्र०-1 वकीलसिंह जो पेशे से अभिभाषक भी है, वह प्रकरण में जान-बूझकर एकपक्षीय है। इससे भी उसके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होती है कि उसके द्वारा असत्य व काल्पनिक घटना के आधार पर अभियोजित किया गया जिससे वादीगण की मान प्रतिष्ठा धूमिल हुई। उन्हें शारीरिक कष्ट व मानसिक वेदना झेलनी पड़ी और आर्थिक क्षति भी हुई। वादीगण ने तत्काल पश्चात ही तहसीलदार को जांच के लिये आवेदन दिया था और जांच हुई थी। रिपोर्ट आने में अवश्य समय लगा क्योंकि संयुक्त भूमि का मामला था। वादीगण के आधार प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित हैं। तथा अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि दुबारा फसल उगाई गई हो। प्रतिवादी साक्ष्य और अभिवचन विरोधाभासी हैं। तथा दिसंबर में यदि गैहू की फसल उजाड़ी जाती है तो वह पुनः नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि मौसम और वातावरण बदल जाता है। इसलिये तीनों वाद प्रश्न वादीगण के पक्ष

में प्रमाणित निर्णीत किये जावें।

31. इस संबंध में प्रतिवादी क्र०-2 ब के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में खण्डन करते हुए व्यक्त किया है कि दाण्डिक मामले में वादीगण संदेह के आधार पर दोषमुक्त हुए हैं और विवेचक डी०आर० रौनिया द्वारा वादीगण से कोई रंजिश न होना स्वीकार किया है। जिस अपराध की शिकायत की गई थी वह संज्ञेय अपराध था और संज्ञेय अपराध में पहले जांच की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा अपराध कायम करना पड़ता है जिस पर से ही अनुसंधान होता है और अनुसंधान के दौरान जो साक्ष्य संकलित हुई थी उस पर से लेखी आवेदन में किये गये आक्षेप प्रमाणित पाये गये थे। विवेचक ने लेखी शिकायती आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में दस्तावेज भी संलग्न किये थे जिसमें वकीलसिंह द्वारा गढ़िया वाली से कराई गई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की नकल खसरा, नक्शा, अख्श शामिल करते हुए वकील सिंह का भूमि पर कब्जा व कास्त स्पष्ट पाया था जिसके कारण अनुसंधान के उपरान्त अभियोजन चलाने हेतु अभियोग पत्र पेश किया गया था। शिकायत झूठी होने और असत्य अनुसंधान के संबंध में वादीगण द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कभी कोई शिकायत नहीं की गई। तथा लक्ष्मणसिंह की मृत्यु वृद्धावस्था और बीमारी के कारण स्वाभाविक हुई। अभियोजन के कारण सदमे से होने की कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिये डी०आर० रौनिया द्वारा विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला नहीं बनता है और उसके विरुद्ध केवल ब्लेकमेल करने के उद्देश्य से दावा किया गया है। फरियादी वकीलसिंह जिसने लेखी आवेदन दिया और वादीगण एक ही परिवार के हैं। जो साक्षी बनाये गये हैं वे भी उनके रिश्तेदार व परिजन हैं इसलिये बाद में वे मिल गये और आपसी तौर पर समझौता कर लिया। इसके कारण दाण्डिक मामले में विधिपूर्ण साक्ष्य नहीं दी गई जिसके कारण वादीगण संदेह के तहत दोषमुक्त हुए हैं। इसलिये विद्वेषपूर्ण अभियोजन के तहत क्षतिपूर्ति का कोई मामला नहीं बनता है और तीनों वाद प्रश्न अप्रमाणित निर्णीत किये जावें।

32. प्रकरण में प्रतिवादी क्र०-1 एकपक्षीय है और उसकी ओर से वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन नहीं है। केवल प्रतिवादी क्र०-2 ब जो कि आपराधिक प्रकरण में विवेचक की भूमिका में था उसकी ओर से वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए वादोत्तर पेश कर साक्ष्य भी पेश की गई है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति इस बात की ली गई है कि प्रकरण में एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर वादीगण ने चाही है जिस पर कोई न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है इसलिये वाद इसी आधार पर ग्राह्य किये जाने योग्य है जबकि वादी के विद्वान अधिवक्ता का इस संबंध में तर्क है कि वाद पत्र के अभिवचनों में ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि घोषणात्मक रूप से न्यायशुल्क दो हजार रुपये अदा किया गया है। विकल्प में वाद डिक्री होने पर वसूली के समय निष्पादन की कार्यवाही में न्यायशुल्क जमा किया जावेगा।

33. न्यायशुल्क के संबंध में प्रकरण में कोई भी वाद प्रश्न निर्मित नहीं किया गया है और उसके संबंध में कोई आपत्ति भी प्रतिवादी की ओर से आदेश 14 नियम 2 या 5 सीपीसी के अंतर्गत नहीं की गई है। चूंकि मामला विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति का है, ऐसे में वाद पत्र की कण्डिका-12 में किये गये अभिवचन को अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। और न्याय शुल्क की वसूली निष्पादन प्रक्रिया में भी उक्त स्थिति में की जा सकती है इसलिये न्यायशुल्क के संबंध में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क ग्राह्य योग्य नहीं है।

34. अभिलेख पर प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, केवल मौखिक साक्ष्य है। आपराधिक प्रकरण का मूल आधार प्र०पी०-46 का लेखी

आवेदन है जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वकीलसिंह द्वारा ग्राम सर्वा के सर्वे क्रमांक-2037 की भूमि खरीदी गई थी जिनके नवीन क्रमांक-2770 और 2771 बने थे जिसमें हिस्सा 2/3 है। अर्थात् रकवा पांच बीघा दस बिस्वा में वह भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है जिसमें उसने गैहूँ की फसल बोई थी। जिसे दिनांक 06.12.99 को को शाम करीब चार बजे अनावेदकगण अर्थात् इस प्रकरण के वादीगण के द्वारा एवं उनके पूर्वज लक्ष्मणसिंह द्वारा ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दिया और उसकी कोई फसल नहीं हो सकी है। फसल उजाड़ने से उसे करीब 32 हजार रुपये का नुकसान हुआ और रोकने पर भी वह नहीं माने। गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी भी दी तथा जो भूमि उसने झींगुरीसिंह को किराये पर जुताई थी उसमें भी गैहूँ की फसल खड़ी थी और पानी लग चुका था उसे भी नष्ट कर दिया। झींगुरीसिंह को जुताई गई भूमि के सर्वे नंबर-2011 रकवा दो बीघा का बताया गया है जिसमें करीब बारह हजार रुपये की नुकसानी बताई गई है। फसल नष्ट करने संबंधी घटना के साक्षी सुरेश सिंह और कृष्णवीरसिंह बताये गये हैं। प्र०पी०-46 के आधार पर प्रतिवादी क्र०-2 व प्र०पी०-18 की एफ०आई०आर० दर्ज कर अनुसंधान करते हुए अभियोग पत्र पेश किया गया था जिसका विचारण चालू था। विचारण में कृष्णवीरसिंह, झींगुरीसिंह और निरीक्षक डी०आर०रौनिया के न्यायालयीन कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र०पी०-20 लगायत 22 के रूप में पेश की गई हैं। वादीगण की ओर से दाण्डिक प्रकरण में बचाव साक्ष्य पेश की गई थी जिसमें आर०आई० रमेश गौड़ का कथन कराया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-40 पेश की गई है। प्र०पी०-45 के रूप में खसरा प्र०पी०-41 के रूप में विनिमय पत्र जो वकीलसिंह व झींगुरीसिंह के बीच दिनांक 24.07.87 को हुआ था उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-41 एवं मुकुटसिंह की विधवा पत्नी गढिया वाली से वकील सिंह द्वारा कराये गये विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांकित 28.06.86 प्र०पी०-42 के रूप में पेश की गई है। वादीगण द्वारा दावा पूर्व धारा-80 सी०पी०सी० के तहत नोटिस की कार्बन प्रति प्र०पी०-1, उसकी रजिस्ट्री की रसीद प्र०पी०-2, 2 ए, 3 एवं 3 ए और पावती प्र०पी०-50 व 51 के रूप में पेश की गई हैं। दाण्डिक प्रकरण में राजस्व निरीक्षक रमेशसिंह के द्वारा फसल खड़ी होने के बाबत तहसीलदार को दिया गया प्रतिवेदन प्र०पी०-47 दिनांकित 30.03.2000 एवं प्र०पी०-48 दिनांकित 29.03.2000 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पेश की गई है जिसमें जे०एम०एफ०सी० न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष के आधार पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला पेश किया गया है। प्र०पी०-4 के संबंध में यह निर्विवादित स्थिति है कि उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हुई है और वह निर्णय अंतिम हो गया है ऐसे में जे०एम०एफ०सी० न्यायालय द्वारा निर्णय में की गई टीका-टिप्पणी भी अखण्डनीय है।

35. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पूरी दाण्डिक अपराध की कार्यवाही को काल्पनिक और असत्य बताया है तथा विवेचक की भूमिका को भी जे०एम०एफ०सी० न्यायालय द्वारा संदेहजनक माने जाने के आधार पर उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने का तर्क किया है। जबकि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का मूलतः यह तर्क है कि कायमी लेखी आवेदन पर से हुई थी और काल्पनिक व झूठी रिपोर्ट किये जाने के संबंध में वादीगण द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं की गई। न कोई कार्यवाही की गई। विवेचक से भी कोई रंजिश नहीं है और संदेह के आधार पर दोषमुक्ति हुई है। इसलिये विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला नहीं बनता है। इस संदर्भ में प्र०पी०-4 के निर्णय का अध्ययन करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण में पेश की गई अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए कण्डिका-14 में अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्षियों के न्यायालयीन कथनों में एफ०आई०आर० व पुलिस कथनों में गंभीर विरोधाभास और लोप उत्पन्न पाते हुए संपूर्ण प्रकरण पर संदेह



उत्पन्न होना माना गया है। तथा निर्णय की कण्डिका-15 में इस आशय की उपापत्ति (Findings) दी गई है कि दिनांक 06.12.99 को आरोपीगण द्वारा ट्रैक्टर से कोई फसल नष्ट कर रिष्टि कारित नहीं की गई जो रमेशसिंह गौड़ राजस्व निरीक्षक और टुण्डेराम के कथनों से प्रमाणित है जिनके प्रतिवेदनों को सही माना गया कि मौके पर हरी-भरी गैहूँ की फसल सही व सुरक्षित पाई गई, कोई नुकसान नहीं पाया गया और आरोपीगण द्वारा कोई फसल नष्ट नहीं की गई।

36. प्र०पी०-4 के निर्णय में प्रतिवादी क०-2 ब डी०आर०रौनिया जो दाण्डिक मामले में विवेचक था, उसके संबंध में प्र०पी०-4 की कण्डिका-16 में इस आशय का भी निष्कर्ष दिया गया है कि विवेचक द्वारा फरियादी वकीलसिंह के अनुसार ही नक्शा तैयार किया गया किन्तु लंबाई चौड़ाई नहीं लिखी गई। विक्रय पत्र में शामिलाली भूमि पूर्व दिशा की ओर क्य की गई जिसका कोई उल्लेख नहीं है न ही पटवारी का कोई दस्तावेज पेश किया गया है जिससे वादी और प्रतिवादी क०-1 के सहस्वामित्व व आधिपत्य की स्थिति पाये जाने से भी फसल नष्ट कर रिष्टि कारित करना प्रमाणित नहीं है। कण्डिका-17 में साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास एवं लोप रिपोर्ट में पांच दिन के विलंब के आधार पर विवेचक की विवेचना को भी संदेहजनक माना है और कण्डिका-18 में फसल ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट करने को प्रमाणित न मानते हुए कण्डिका-19 मुताबिक दोषमुक्ति की गई है। अभिलेख पर प्र०पी०-20, 21 एवं 22 के न्यायालयीन कथनों को देखते हुए प्रतिवादी की ओर से वादी साक्षियों पर प्रतिपरीक्षा में दिये गये इस सुझाव और डी०आर०रौनिया द्वारा अपने कथन में दिया गया यह अभिसाक्ष्य कि वादीगण और प्रतिवादी क०-1 एक ही परिवार के होकर आपस में मिल गये और इसी कारण विधिपूर्ण साक्ष्य नहीं दी गई और उनके मध्य राजीनामा हो गया। तथा विधिसम्मत साक्ष्य न देने के कारण वह दोषमुक्त हुए हैं, यह परिलक्षित नहीं होता है क्योंकि अभियोजन साक्षी पक्ष विरोधी नहीं थे। घटना ही संदिग्ध मानी गई इसलिये प्रतिवादी का यह आधार व तर्क खण्डित होता है कि विधिसम्मत साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्ति हुई है।

37. इसके अलावा प्र०पी०-47 का जो प्रतिवेदन अभिलेख पर पेश है, उसका भी कोई खण्डन नहीं है जिसका पंचनामा प्र०पी०-48 है जिसके मुताबिक आर०आई० द्वारा मौका दिनांक 29.03.2000 को तहसीलदार के आदेश से निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई थी और गैहूँ की फसल सर्वे क्रमांक-2771 रकबा 1.57 है० पर सुरक्षित खड़ी अवस्था में पाई गई। इन दस्तावेजों के संबंध में प्रतिवादी डी०आर०रौनिया का यह आधार व तर्क रहा है कि आर०आई० वादीगण के समाज का होकर रिश्तेदार है और उससे मिलकर असत्य रूप से फसल खड़ी होने की बात लिखाई गई है जिसका कोई आधार नहीं है क्योंकि अभिलेख पर इस बाबत कोई भी प्रमाण नहीं है कि वादीगण की किसी हितबद्धता के चलते आर०आई० रमेशसिंह गौड़ के द्वारा प्र०पी०-47 का प्रतिवेदन दिया गया।

38. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि जिस भूमि की फसल को नष्ट करने का मूल विवाद बताया गया वह भूमि अविभाजित है, कोई बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में प्रतिवादी डी०आर०रौनिया का पैरा-14 में यह कहना कि फरियादी अर्थात् वकीलसिंह का सन् 1986 से विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। यह वकीलसिंह से उसकी हितबद्धता को ही दर्शाता है क्योंकि उक्त साक्षी को सन् 1986 से कब्जे की जानकारी संभव नहीं है। हालांकि वह इस संबंध में दस्तावेज देखना बताता है किन्तु कोई दस्तावेज प्रकरण में इस आशय का नहीं है कि सन् 1986 से किसी विशिष्ट भू-भाग पर वकीलसिंह का कब्जा चला आ रहा हो। प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि विक्रय पत्र में कब्जे का उल्लेख है। विक्रय पत्र प्र०पी०-42 के रूप में अभिलेख



पर पेश है जिसके मुताबिक महिला गढिया वाली द्वारा वकीलसिंह को भूमि विक्रय की गई जिनमें उसने सर्वे नंबर—2017, 2021, 2022, 2023, 2037 की भूमि में से अपना हिस्सा 1/3 संपूर्ण जिसका रकबा 1.243 है, विक्रय किया है।

39. विक्रय पत्र के संबंध में इस प्रकरण में हालांकि जांच नहीं होना है किन्तु विक्रय पत्र को यदि सही मान भी लिया जावे तब भी यह सुस्थापित विधि है कि जहाँ शामिलाली खेती की भूमि में से कोई अपना हिस्सा विक्रय करता है तो ऐसे में अविभाजित भूमि होने से क्रेता बंटवारे की कार्यवाही करके ही विशिष्ट भाग पर आधिपत्य प्राप्त कर सकता है। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि जिससे प्र०पी०—42 के विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी वकीलसिंह द्वारा बंटवारे की कार्यवाही करके किसी विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा प्राप्त किया हो। ऐसे में सन् 1986 से कब्जे की साक्ष्य डी०आर०रौनिया की स्वीकार योग्य नहीं है जिसे इस बात की जानकारी है कि कृषि भूमि का बंटवारा राजस्व न्यायालय से होता है।

40. प्र०पी०—4 के निर्णय में प्रतिवादी डी०आर०रौनिया के संबंध में की गई टीका—टिप्पणी कि उसके द्वारा जानकारी के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि उसे उक्त निर्णय की जानकारी प्रकरण में उपस्थित होने के बाद तो निश्चित रूप से हो गई थी और प्र०पी०—4 का निष्कर्ष वादीगण के आधार को ऐसी स्थिति में बल प्रदान करता है।

41. डी०आर०रौनिया प्र०सा०—1 ने पैरा—4 में अभियोजन साक्षियों को पक्षकार न बनाये जाने का ही आधार लिया है किन्तु पक्षकारों के असंयोजन का भी कोई वाद प्रश्न नहीं है और विद्वेषपूर्ण अभियोजन का आक्षेप फरियादी के रूप में रहे वकीलसिंह प्रतिवादी क्र०—1 व विवेचक के रूप में रहे प्रतिवादी क्र०—2 ब पर किया है। ऐसे में अभियोजन के अन्य साक्षी प्रकरण के लिये आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते हैं और उन्हें पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। न ही इस संबंध में सुदृढ अभिवचन है। इसलिये उक्त आशय की साक्ष्य अभिवचनों के बाहर जाकर पेश होने से ग्राह्य योग्य ही नहीं है क्योंकि यह सुस्थापित सिविल प्रथा है कि अभिवचनों से अन्यथा प्रस्तुत साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं होती है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **सी०व्ही० रामचंद्रन विरुद्ध व्ही०एस० नारायण 1963 एम०पी०एल०जे० एस०एन०—217** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

42. प्र०सा०—2 ने पैरा—4 में कायमी दिनांक के करीब चार महीने बाद आर०आई० द्वारा फसल खेत पर खड़ी पाये जाने के संबंध में यह आक्षेप किया गया है कि तत्काल कोई निरीक्षण नहीं किया गया अन्यथा आर०आई० फसल नष्ट होना पाता। इससे यह स्पष्ट है कि वकीलसिंह द्वारा घटना की कायमी के बाद पुनः फसल उगाई गई फसल खड़ी पाई गई किन्तु इस आशय का कोई अभिवचन वादोत्तर में नहीं है कि वकीलसिंह द्वारा पुनः फसल उगाई गई हो और इस संबंध में अभिलेख पर यह भी स्पष्ट है कि दिसंबर के महीने की घटना है। दिसंबर में यदि गैहू की फसल को उजाड़ दिया जाये तो पुनः उगाना संभव नहीं है। क्योंकि मौसम और वातावरण बदल जाता है। हालांकि इससे प्रतिवादी इन्कार करता है। लेकिन पैरा—4 में उसके द्वारा केवल एक संभावना प्रकट की गई है किन्तु इस संबंध में उसकी ओर से वकीलसिंह का या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति का कथन जिसने फसल उजाड़ने के बाद वकीलसिंह को पुनः या दुबारा फसल उगाते देखा हो, साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। इसलिये प्रतिवादी का उक्त कथन कल्पना के रूप में ही माना जावेगा और उसका कोई विधिक मूल्य नहीं है। इसलिये यह स्थापित नहीं होता है कि वकीलसिंह द्वारा पुनः फसल उगाई गई जिससे आर०आई० को फसल खड़ी मिली। बल्कि उक्त आशय की साक्ष्य से आर०आई० की मौके पर निरीक्षण की कार्यवाही की पुष्टि होती है। जब आर०आई० ने मौका देखा

तब फसल खड़ी और सुरक्षित पाई गई। ऐसे में प्र०सा०-1 की साक्ष्य निर्बल हो जाती है जिससे जे०एम०एफ०सी० न्यायालय का प्र०पी०-4 में यह निकाला गया निष्कर्ष कि गैहू की फसल ट्रैक्टर से नहीं उजाड़ी गई, उसकी पुष्टि होती है। और उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण के विरुद्ध जो आपराधिक कार्यवाही की गई है वह प्रारंभ से ही अस्तित्वविहीन थी। ऐसे में वादीगण और उनके पूर्वज लक्ष्मणसिंह का प्र०पी०-47 के आधार पर किया गया अभियोजन विद्वेषपूर्ण आशय का ही परिलक्षित होता है।

43. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-114 (ई) में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि न्यायालय किन तथ्यों के अस्तित्व की उपधारणा कर सकेगा। उसमें न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किये गये हैं, ऐसा उपधारित किया जा सकता है जिसके बारे में उक्त उपबंध में जो दृष्टांत दिया गया है, उसमें यह उल्लेखित है कि कोई न्यायिक कार्य जिसकी नियमितता प्रश्नगत है, असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। यह उपबंध प्रतिवादी क०-2 ब के संबंध में है जिसने विवेचक की हैसियत से अभियोजन की कार्यवाही की किन्तु जिस प्र०पी०-47 के आवेदन पर से कार्यवाही की, उसके आधार पर डी०आर०रौनिया ने संज्ञेय अपराध प्रकट होना बताया किन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आवेदन के साथ वह विक्रय पत्र, खसरा, अख्शा, नक्शा आदि भी पेश होना बताता है। ऐसे में जबकि भूमि शामिलाली अविभाजित थी, तो इस आशय की जांच आवश्यक रूप से करनी चाहिए थी कि जिस भू-भाग की फसल को उजाड़ना बताया गया, उसके आधिपत्य की और स्वामित्व की क्या स्थिति है। दाण्डिक कार्यवाही में नक्शामौका प्र०पी०-19 में जिस भू-भाग 1/3 को अलग रेखांकित किया गया, और शेष 1/2 भाग को अलग रेखांकित किया गया। 2/3 भाग वकीलसिंह का बताया है। 1/3 भाग किसका है, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। और 2/3 भाग अलग से किस आधार पर रेखांकित किया गया, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि डी०आर०रौनिया स्वयं यह स्वीकार करता है कि नक्शामौका तैयार करते समय उन्होंने पटवारी, आर०आई० की कोई सहायता नहीं ली। न पटवारी, आर०आई० आदि से कोई नक्शा बनवाया न कोई दस्तावेज प्राप्त किये। ऐसे में वकीलसिंह से जिस प्रकार हितबद्धता वादीगण डी०आर०रौनिया के संबंध में बताते हैं, उसे बल मिलता है।

44. वकीलसिंह से वादीगण की रंजिश होने का बिन्दु, दीवानी मुकदमा चलने का बिन्दु स्थापित होता है। ऐसे में कुटुंबी होने के आधार पर उसका विधिसम्मत साक्ष्य न देना नहीं माना जावेगा। और वकीलसिंह का प्रकरण में अनुपस्थित रहना उसके विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा को बल देता है कि अवश्य ही वादीगण का मामला विधिसम्मत है अन्यथा वकीलसिंह उपस्थित रहकर उसका खण्डन करता। ऐसे में प्रतिवादी क०-1 व 2 ब के द्वारा की गई दाण्डिक कार्यवाही में विद्वेषपूर्ण आशय से जमीनी विवाद और रंजिश पर से बिना किसी युक्तियुक्त कारण व संभावना के की जाना प्रमाणित होती है फलस्वरूप वाद प्रश्न क्रमांक-2 लगायत 4 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी क०-1 व 2 ब के विरुद्ध प्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

#### **: : वाद प्रश्न क्रमांक-5 ::**

45. इस वाद प्रश्न का प्रमाण भार भी वादीगण पर है। इस संबंध में वादीगण के द्वारा जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उसमें वकीलसिंह की लेखी रिपोर्ट पर से डी०आर०रौनिया द्वारा दर्ज किये गये अपराध के कारण उन्हें गिरफ्तार किये जाने, जेल भेजे जाने से सामाजिक छवि धूमि होने, उनके प्रताडित होने, मानसिक वेदना और

प्रकरण में कार्यवाही करने में खर्च आदि कर आर्थिक क्षति भी होना बताई गई है। तथा कुल मिलाकर एक लाख रुपये की विद्वेषपूर्ण अभियोजन के कारण क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। यह भी आक्षेप किया गया है कि आपराधिक प्रकरण के कारण सदमे से उनके पूर्वज लक्ष्मणसिंह का असमय निर्धन हुआ। किन्तु प्रकरण में वादीगण की ओर से दाण्डिक मामले में पैरवी व कार्यवाही में राशि खर्च होने का कोई विवरण पेश नहीं किया गया है। न ही कोई इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पेश किया गया है कि किस कार्य में कितनी राशि खर्च हुई। दाण्डिक प्रकरण में पैरवी करने हेतु अभिभाषक नियुक्त करने में अभिभाषक द्वारा कितनी राशि पारितोषण के रूप में प्राप्त की, उसकी कोई रसीद आदि भी पेश नहीं की गई है। वा०सा०-1 ने दाण्डिक मामले में हर पेशी पर सौ दो सौ या कभी पांच सौ रुपये वकील को देना बताया है लेकिन कितनी बार कितने रुपये दिये, यह बताने में वह असमर्थ है अर्थात् दाण्डिक प्रकरण में खर्च का सटीक विवरण अवश्य अभिलेख पर नहीं है। दूसरी ओर लक्ष्मणसिंह के दाण्डिक मामले के कारण आघात पहुंचने से भी उनकी मृत्यु होने संबंधी कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है और लक्ष्मणसिंह के संबंध में इस आशय की साक्ष्य आई है कि वह 65 वर्षीय वृद्ध थे। ऐसे में वृद्धावस्था और बीमारी से मृत्यु होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में लक्ष्मणसिंह की मृत्यु के संदर्भ में वादीगण कोई क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने लक्ष्मणसिंह के मानसिक आघात के इलाज में, खानपान व देखरेख में तीस हजार रुपये का खर्च करने का कोई विवरण या प्रमाण नहीं दिया है।

46. वा०सा०-1 ने दाण्डिक प्रकरण में आवेदन देने, प्रोसेस फीस, जमानत मुचलके भरवाने में करीब चालीस हजार रुपये खर्च होना बताया है और मानहानि के लिये तीस हजार रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। लेकिन दाण्डिक मामले में चालीस हजार रुपये के खर्च का भी कोई विवरण नहीं है। ऐसे में चाही गई क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित रूप से अविवेकपूर्ण परिलक्षित होती है। हालांकि यह सही है कि दाण्डिक मामला पंजीबद्ध होने से वादीगण और उनके पूर्वज लक्ष्मण को गिरफ्तार होना पडा, जेल जाना पडा, दाण्डिक मामले में अभियोजन का सामना करना पडा और विचारण में पैरवी हेतु अभिभाषक नियुक्त करना पडा जिसमें निश्चित रूप से धनराशि खर्च की गई होगी इसकी उपधारणा निर्मित की जा सकती है। शारीरिक व मानसिक कष्ट भी सहन करना पडा और ख्याति की अपहानि भी होना ऐसे में माना जावेगा। इसलिये किन आधारों पर वादीगण क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में प्रत्येक वादी 5000/-रुपये (पांच हजार रुपये) की दर से प्रतिवादी क्र०-1 व 2 ब से वसूलने का अधिकारी होना पाये जाते हैं। किन्तु दाण्डिक अभियोजन प्रतिवादी क्र०-1 के आवेदन पर से प्रारंभ हुआ। ऐसे में प्रारंभिक उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रतिवादी क्र०-1 पर अधिरोपित करना उचित व न्यायसंगत होगा। और यदि प्रतिवादी क्र०-1 से क्षतिपूर्ति राशि किन्हीं विधिक कारणों से वसूल न की जा सके तब ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व प्रतिवादी क्र०-2 ब पर डाला जाना उचित व न्यायसंगत होगा। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-5 के संबंध में निष्कर्ष दिया जाता है कि ख्याति की अपहानि व आर्थिक नुकसान के लिये सर्वप्रथम प्रतिवादी क्र०-1 उत्तरदायी होगा। तत्पश्चात प्रतिवादी क्र०-2 ब होगा। उक्त अनुसार वाद प्रश्न क्रमांक-5 का निराकरण किया जाता है।

#### **: : वाद प्रश्न क्रमांक-6 ::**

47. उपरोक्त वर्णित किये गये साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के समग्र विश्लेषण के

आधार पर वादीगण का प्रतिवादी क्र०-1 के लेखी आवेदन पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन किया जाना और उसमें प्रतिवादी क्र०-2 ब की संलिप्तता भी मानी गई है किन्तु चाही गई क्षतिपूर्ति की राशि अविवेकपूर्ण है। वाद प्रश्न क्रमांक-5 के निष्कर्ष में प्रत्येक वादी पांच हजार रुपये की दर से क्षतिपूर्ति राशि की पात्रता रखना माना गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद आंशिक रूप से प्रमाणित निर्णीत कर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्र०-1 एवं 2 ब के विरुद्ध निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है :-

1. प्रतिवादी क्र०-1 वकीलसिंह को आदेशित किया जाता है कि वह प्रत्येक वादी को 5000/-रुपये (पांच हजार रुपये) की दर से कुल 30000/- (तीस हजार रुपये) विद्वेषपूर्ण अभियोजन के कारण क्षतिपूर्ति की राशि का दो माह के भीतर भुगतान करे अन्यथा वादीगण वैधानिक कार्यवाही करके उक्त क्षतिपूर्ति राशि वसूल सकेंगे।
2. प्रतिवादी क्र०-1 वकील सिंह से किन्हीं विधिक कारणों से क्षतिपूर्ति राशि वसूली न हो पावे तब उक्त क्षतिपूर्ति राशि को भुगतान करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादी क्र०-2 ब पर रहेगा जिससे कि वादीगण वसूली न हो पाने की दशा में वैधानिक कार्यवाही कर वसूल कर सकेंगे।
3. वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह डिक्री की गई क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार न्यायशुल्क अदा करने पर ही डिक्री का निष्पादन करा सकेंगे।
4. प्रकरण की परिस्थितियों में वादीगण का प्रकरण व्यय प्रतिवादी क्र०-1 अपने प्रकरण व्यय के साथ वहन करेगा। यदि उक्त प्रकरण व्यय भी विधिक कारणों से प्रतिवादी क्र०-1 से वसूली योग्य न रहे तब प्रतिवादी क्र०-2 ब अपने प्रकरण व्यय के साथ वादीगण का वाद व्यय वहन करेगा। जिस पर अभिभाषक शुल्क क्षतिपूर्ति राशि 30000/- (तीस हजार रुपये) के संबंध में सारिणी मुताबिक जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार हो।

दिनांक— 14.05.15

आदेश खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)